

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकःप ३(१२०१)नविवि / ३ / २०१२

जयपुर, दिनांक: ९ MAR 2017

आदेश

नगर विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों, आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, 1974 नियम १७ एवं आवासन मण्डल के नियमों के अन्तर्गत आवंटित किये गये आवासों जिनकी सम्पूर्ण राशि आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीना में जमा नहीं करवाये जाने से आवंटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है। ऐसे प्रकरणों में उक्त नियमों के नियम १७(५)(iii) में ब्याज व पेनल्टी लेकर नियमन करने का प्रावधान है; नियम-३१ में ब्याज व पेनल्टी में छूट देने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है।

माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा बजट वर्ष २०१७-१८ में घोषणा संख्या ३७९ में ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. में दिनांक ०१.०१.२००१ से आवंटित आवासों में राशि जमा नहीं करवायी गयी है उनमें नियमन करने पर ब्याज व पेनल्टी पर छूट प्रदान की गयी है। राजस्थान नगर सुधार न्यास (शहरी भूमि के निस्तारण) नियम, १९७४ के ७(५)(iii) व सपठित ३१ की शक्तियों का प्रयोग करते हुए करते हुए दिनांक ०१.०१.२००१ से ई.डब्ल्यू.एस. एवं एल.आई.जी. के आवंटित आवासों में बकाया राशि दिनांक ३१.१२.२०१७ तक एक मुश्त जमा करायी जाने पर ब्याज व पेनल्टी में शत-प्रतिशत छूट देते हुए नियमित किये जावें।

आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करवाने पर नगर विकास प्राधिकरणों एवं नगर विकास न्यासों, आवासन मण्डल द्वारा कब्जा लिया जाकर नीलामी के जरिये निस्तारण किया जायेगा।

आज्ञा से,


(अर्जुन राम चौधरी)

संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय

प्रतिलिपि: निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है—

- (१) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, महोदय, राजस्थान सरकार।
- (२) निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
- (३) निजी सचिव, मा. मंत्री महोदय, न.वि.वि।
- (४) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार।
- (५) निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग।
- (६) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
- (७) प्रमुख शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान सरकार।
- (८) संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, न.वि.वि।
- (९) आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
- (१०) सचिव, समस्त नगर विकास न्यास।
- (११) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
- (१२) वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (१३) अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (१४) वरिष्ठ उप शासन सचिव नगरीय विकास को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- (१५) उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
- (१६) निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
- (१७) रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय